28

विलोपित

बीस रुपये COURT FEE INDIA TWENTY RUPEES Rs.20

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क. विविध-2725/2018/रीवा/भू.रा.

श्री नागेश्वर सिंह-एड. द्वारा आज दि. 9/5/18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 22/5/18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट 3-5-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

सुखलाल तनय सम्पत्ति साहू
निवासी – ग्राम बिझौली, तहसील हनुमना, जिला रीवा (म.प्र.) ———————आवेदक

बनाम

1– ज्ञानवती सिंह पत्नी श्री राजमणी सिंह
2– सुरेश सिंह तनय श्री विश्वनाथ सिंह
3– प्रवीण सिंह तनय श्री मुनिप्रताप सिंह
4– रतौआ पत्नी स्व. शोभानाथ कुम्हार
5– कैलाशनाथ प्रजापति पुत्र स्व. शोभानाथ कुम्हार
6– अशोक पुत्र स्व. शोभानाथ कुम्हार
7– ऋषिनाथ पुत्र स्व. शोभानाथ कुम्हार
8– सिद्धनाथ पुत्र स्व. शोभानाथ कुम्हार

सभी निवासीगण– ग्राम बिझौली, तहसील हनुमना, जिला रीवा (म.प्र.) ——————**अनावेदकगण**

नागेश्वर सिंह (एडवोकेट)

आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा – 32 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता–1959

भूल सुधार वावत्

माननीय,

आवेदक की ओर से आवेदन–पत्र निम्न लिखित प्रस्तुत हैः–

1– यहकि, आवेदक द्वारा अपर कलेक्टर मऊगंज, जिला रीवा के प्रकरण कमांक 15/निगरानी/अ–3/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 21–2–2018 से परिवेदित होकर, माननीय न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई थी।

2– यहकि, माननीय न्यायालय द्वारा आवेदक, द्वारा प्रस्तुत निगरानी को प्रकरण कमांक ।।/निगरानी/रीवा/भू.रा./2018/1992 पर दर्ज किया जाकर, दिनांक 4–4–2018 को आदेश पारित कर अपर कलेक्टर महोदय का आदेश दिनांक 21–2–2018 निरस्त कर नायब तहसीलदार महोदय द्वारा प्रकरण कमांक 01/अ–3/2006–07 में पारित आदेश दिनांक 28–7–2011 अपील योग्य आदेश होने से सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।

न्यायालय, राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण कमांक विविध / 02725 / 2018 / जिला–रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकोंआदि के हस्ताक्षर
03/07/18	आवेदक के अधिवक्ता श्री मंगलेश्वर सिंह उपस्थित होकर आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 32 म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 भूल सुधार बावत प्रस्तुत किया जाकर अनुरोध किया गया है कि प्रकरण कमांक दो / निगरानी / रीवा / भूरा / 2018 / 1992 में पारित आदेश दिनांक 4.4.18 में आदेश के पृष्ठ 2 पर पैरा 2 की लाईन नम्बर–7 में नायब तहसीलदार का आदेश दिनांक 28.7.11 के स्थान पर 28.7.17 टंकित हो गया है, इसे सुधार करने का अनुरोध किया गया है। 2–आवेदक अधिवक्ता का अनुरोध स्वीकार किया जाता है तथा पारित आदेश दिनांक 4.4.18 में आदेश के पृष्ठ 2 पर पैरा 2 की लाईन नम्बर–7 में नायब तहसीलदार का आदेश दिनांक 28.7.17 के स्थान पर 28.7.11 पढ़ा जावे। यह आदेश पत्रिका आदेश का मूल अंग मानी जावेगी । सदस्य	